भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3274

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और रोग नियंत्रण

†3274. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के उन्नयन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केरल के कासरगोड जिले को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल की कमियों को दूर करने के लिए कासरगोड में चिकित्सा महाविद्यालयों या विशेष केंद्रों सहित तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने या इनका विस्तार करने के लिए कोई स्वीकृत प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार लक्षित जागरूकता और हस्तक्षेप कार्यक्रमों के माध्यम से जीवनशैली से संबंधित और गैर-संचारी रोगों को नियंत्रित करने में जिले को किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने हेतु दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

एनएचएम के अंतर्गत केरल राज्य को केंद्रीय निर्गमन निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**केंद्रीय निर्गमन**
1.	2022-23	1036.76
2.	2023-24	189.15
3.	2024-25	1351.78

नोट: उपरोक्त निर्गमन केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

केरल राज्य को एनएचएम के तहत भवन अवसंरचना के विकास के लिए जारी वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात 2024-25; 2023-24; 2022-23 के दौरान स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2025-26**	**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**
केरल	2941.32	6,464.94	17,943.60	12,632.88

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। केरल राज्य को पाँच वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-2026) के लिए जिला स्तर पर 14 आईपीएचएल और जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज स्तर पर 14 सीसीबी के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 404.63 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 में कासरगोड जिले को एक (01) एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और एक (01) क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) भी प्रदान किया गया है।

केरल राज्य के लिए **पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV)** के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए 2958.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 1205 भवन रहित एसएचसी, 116 भवन रहित पीएचसी, 41 भवन रहित सीएचसी, 152 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों और 380 शहरी-एएएम की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए अब तक 1694.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधा केंद्रों को बढ़ाना है। इस योजना के तहत केरल राज्य में चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। विवरण इस प्रकार हैं:

राज्य	क्रम	जीएमसी/संस्था का नाम	अनुमोदित अवसंरचना
केरल	1.	मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
	2.	कोझिकोड मेडिकल कॉलेज	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक सहित ट्रॉमा केयर सेंटर
	3.	टी.डी. मेडिकल कॉलेज, अलाप्पुझा	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक
	4.	एससीटीआईएमएसटी, त्रिवेंद्रम	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

(घ): भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों (एनपी-एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर की स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्र के लिए रेफरल और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, 770 ज़िला एनसीडी क्लीनिक, 372 ज़िला डे-केयर सेंटर, 233 कार्डियक केयर इकाइयाँ और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की जाँच, प्रबंधन और रोकथाम हेतु जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न अंग है।

समुदाय में, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा) गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा कर्मी व्यक्तियों और परिवारों को पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक कार्यकलाप और तंबाकू व शराब से परहेज सहित स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करती हैं। आशा कर्मी नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के माध्यम से रोग का शीघ्र पता लगाने के महत्व पर भी ज़ोर देती हैं, जिसमें घर-घर जाकर, समूह बैठकों और स्वास्थ्य अभियानों में भागीदारी के माध्यम से समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

वर्ष 2018 में आरंभ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), जिसे पहले आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं को प्राप्त करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता है। मौजूदा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमएसीएचए+ए) सेवाओं और संचारी रोग सेवाओं के लिए विस्तार और सुदृढ़ीकरण के अलावा, संचालनरत एएएम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से संबंधित सेवाएँ (उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के 3 सामान्य कैंसर जैसे एनसीडी की जाँच और प्रबंधन) भी प्रदान करता है

और मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र रोग, मुख स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल और आघात परिचर्या आदि के लिए अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को क्रमिक रूप से जोड़ा गया है।

इसके अलावा, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली पहलों में गैर-संचारी रोगों से संबंधित स्वास्थ्य दिवस मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए जागरूकता सृजन कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के "ईट राइट इंडिया आंदोलन" के माध्यम से स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा दिया जाता है। "फिट इंडिया आंदोलन" का क्रियान्वयन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।

*****